26.10.23

वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी वि. / लो. सभा चुनाव बाबत दीगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 28.12.23 को पेश हो।

28.12.2023

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व वाद संख्या 66/2021 अनवान शंकरराम बनाम गोदाराम वगैरा के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 21.09.2022 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता बालोतरा न्यायालय में व्यस्त होने से अदालत में उपस्थित नहीं पाये और इस बात की सूचना वादीगण को भी नहीं दे सक, इसलिए उस रोज वादीगण भी उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 16.03.2022 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया [illegible] के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन [illegible] किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।, इस प्रकार वादीगण [illegible] दावा मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.02.14 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें ।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 21.09.2022 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 21.09.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.02.14 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested